भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्‍चतर‍ शिक्षा विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्या : 2029

उत्तर देने की तारीख : 28 जुलाई, 2014

**दिल्ली विश्वविद्यालय के स्नातकों की रोजगार संभावना**

**2029. श्रीमती विप्लव ठाकुरः**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्री महोदय ने दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा पुराने स्नातक पाठ्यक्रम को पुनः अपना लेने के मद्देनज़र पुरानी स्नातक प्रणाली के संदर्भ में ‘रोजगार संभाव्यता संबंधी मानदंडों’ पर विचार किया है;

(ख) क्या हमारे स्नातक पाठ्यक्रमों तथा उद्योग जगत के बीच समन्वय-संवर्धन हेतु विचार किया जा रहा है; और

(ग) दिल्ली विश्वविद्यालय के स्नातकों के रोजगार अनुपात का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्री**

**(श्रीमती स्‍मृति ज़ूबिन इरानी)**

(क): ‘रोजगार संभाव्यता संबंधी मानदंड’’ तीन वर्षीय अवर स्नातक डिग्री को पुनः अपनाने का कारण नहीं था। पुराना पैटर्न अपनाने संबंधी कारणों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई), 1986 की अनुपालना की आवश्यकता तथा यह सुनिश्चित करना शामिल था कि दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को अन्य विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों की तुलना में क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर गतिशीलता तथा रोजगार-अवसरों के अर्थों में भी कोई हानि न हो।

(ख): जी, हां। विद्यार्थियों को रोजगार के लिए तैयार करने हेतु देश के विश्वविद्यालयों ने विभिन्न उपक्रमण प्रारंभ किए हैं, जिनमें उद्योग अकादमिक अनुसंधान प्रयोगशाला अंतरापृष्ठ को सांस्थानिक रूप प्रदान किया जाना शामिल है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वर्ष 2003-04 से “कैरियर उन्मुखी पाठ्यक्रम कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है। इसके द्वारा अभी हाल ही में स्नातक डिग्री के तौर पर व्यावसायिक शिक्षा स्नातक (बी.वॉक) की अधिसूचना जारी की गई है। राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा अर्हता फ्रेमवर्क (एनवीईक्यूएफ) की अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें रोजगार संभाव्यता मुद्दे के समाधान करने के लिए माध्यमिक शिक्षा से डॉक्टरेट स्तर की अर्हताओं के साथ स्कूलों, व्यावसायिक शिक्षा संस्थाओं एवं उच्चतर शिक्षा संस्थाओं को शामिल करते हुए राष्ट्रीय स्तर की मान्यता के दिशा-निर्देशों का प्रावधान किया गया है।

(ग): जैसाकि, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा सूचित किया गया है, मुक्त अधिगम स्कूल (एसओएल) के विद्यार्थियों को छोड़कर प्रति वर्ष स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम पूरा करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 40,000 से अधिक है। विश्वविद्यालय में एक केन्द्रीय नियोजन प्रकोष्ठ (सीपीसी) है जो विश्वविद्यालय के विभिन्न कालेजों/विभागों के विद्यार्थियों को इसमें पंजीकरण करवाने का विकल्प प्रदान करता है। पिछले तीन वर्षों में केन्द्रीय नियोजन प्रकोष्ठ में पंजीकरण करवाने वाले तथा नियोजित विद्यार्थियों की अनुमानित संख्या निम्नानुसार है:-

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| वर्ष | पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या | विभिन्न नियोक्ताओं/कंपनियों द्वारा पूरे किए गए प्रारंभिक चयन के आधार पर नियोजन-संख्या |
| 2011-2012 | 11048 | 1000 |
| 2012-2013 | 9498 | 1500 |
| 2013-2014 | 6729 | 1200 |

 इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय से संबद्ध कालेजों के अपने नियोजन प्रकोष्ठ हैं, जहां संभावित नियोक्ता/कंपनियां सीधा दौरा करती हैं तथा संबंधित कालेजों के विद्यार्थियों को नियुक्त करती हैं। इसी प्रकार, विश्वविद्यालय के कुछ स्नातकोत्तर संकायों/विभागों द्वारा भी अपने विद्यार्थियों के लिए नियोजन प्रक्रिया का आयोजन किया जाता है जैसे प्रबंधन अध्ययन संकाय, वाणिज्य, बिजनेस स्टण्डीज, शिक्षा संकाय इत्यादि।

\*\*\*\*\*